(136)

आयोजनेत्तर

संख्या– 43 /XXII/2013–01(2)2012–टी.सी.

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 15 जनवरी, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदान में स्वीकृत धनराशि का आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3686/सू.एवंलो.स.वि.(लेखा)/बजट आवंटन/2012–13, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या–174/XXII/2012–1(2)2012, दिनांक 24 अप्रैल, 2012, शासनादेश संख्या–224/XXII/2012–1(2)2012, दिनांक 01 मई, 2012 एवं शासनादेश संख्या–419/XXII/2012–1(2)2012, दिनांक 02 जुलाई , 2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान में प्राविधानित धनराशि रू0 32800.00 हजार (रूपये तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :

(धनराशि हजार रू0 में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
2220–सूचना तथा प्रचार 01–फिल्म 105–फिल्मों का निर्माण 03–अधिष्ठान–आयोजनेत्तर	31–सामग्री और सम्पूर्ति	1000
	योग	**1000**
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अधिष्ठान व्यय–आयोजनेत्तर	08–कार्यालय व्यय	3000
	22 आतिथ्य व्यय, विषयक भत्ता आदि	3800
	योग	**6800**
2220–सूचना तथा प्रचार 60–अन्य 101–विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार 05–अधिष्ठान–आयोजनेत्तर	19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	25000
	योग	**25000**
कुल योग		**32800**

(रूपये तीन करोड़ अठ्ठाईस लाख मात्र)

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4– वित्तीय वर्ष 2012–13 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान यदि कोई हो तो उसके विवरण की सूचना विभाग द्वारा अलग से रखी जायेगी।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष के अंतर्गत संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षकों/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र सं.–321/XXVII (1)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 में प्राप्त अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे है तथा उक्त शासनादेश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
अपर सचिव।

पृ0संख्या– 43 (1)/XXII/2013–10(2)2012–टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–5/7, वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
अनु सचिव।